Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जैसलमेर में जोधपुर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *09 दिसम्बर, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई द्वारा आज जैसलमेर में कार्यवाही करते हुये **कबीराराम कनिष्ठ अभियंता, देवीकोट, जोधपुर डिस्कॉम, जिला जैसलमेर एवं उसके दलाल त्रिपालराम (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसके कृषि कनेक्शन के लिये सुपर श्रेणी की बिजली लाईन बिना अवरोध के चलने देने एवं नया ट्रांसफार्मर जारी करने की एवज में कबीराराम कनिष्ठ अभियंता, देवीकोट द्वारा **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री पदमपाल सिंह** द्वारा मय टीम के जैसलमेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण कबीराराम कनिष्ठ अभियंता, देवीकोट एवं उसके दलाल त्रिपालराम (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।